न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मदनलाल नेहरा आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी संख्या : 23/2022 (2022/132)

प्रार्थीगण/निगरानीकर्ता :–

गौतम शर्मा पुत्र सत्यनारायण, जाति ब्राह्मण, निवासी फींच, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. अचलाराम पुत्र प्रेमाराम, निवासी फींच, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।
2. सरपंच ग्राम पंचायत फींच, पंचायत समिति लूणी, जिला जोधपुर।
3. ग्राम सेवक पदेन सचिव, ग्राम पंचायत फींच, पंचायत समिति लूणी, जिला जोधपुर।
4. विकास अधिकारी, पंचायत समिति लूणी, जिला जोधपुर।

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 विरूद्ध पट्टा संख्या 02 मिसल संख्या 15/2018–19 दिनांक 20.03.2019 जो ग्राम पंचायत फींच द्वारा जारी किया गया।

उपस्थिति :–

1. अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़ (प्रार्थी)।
2. अधिवक्ता श्री रामप्रकाश चौधरी (अप्रार्थी संख्या 01)।

आदेश **दिनांक :–30.06.2023**

प्रार्थीपक्ष ने यह पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 पट्टा संख्या 02 मिसल संख्या 15/2018–19 दिनांक 20.03.2019 जो ग्राम पंचायत फींच द्वारा जारी किया गया, को निरस्त करवाने हेतु प्रस्तुत की है।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पुनरीक्षण प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीपक्ष को नोटिस जारी किये गये तथा ग्राम पंचायत फींच से मूल अभिलेख तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री राम प्रकाश चौधरी ने वकालतनामा पेश

Signature Not Verified

Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.08.04 14:03:42 IST
Reason: SelfAttested

किया। ग्राम पंचायत फींच से मूल अभिलेख प्राप्त होने पर उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस दिनांक 15.06.2023 को सुनी जाकर पत्रावली आदेश हेतु रखी गई।

प्रार्थी अधिवक्ता ने बहस में बतलाया कि अप्रार्थी संख्या 01 ने ग्राम पंचायत के साथ मिली भगत करते हुए निगरानीधीन पट्टा स्वीकृत कराया जो विधिविरूद्ध है। ग्राम पंचायत के मूल रिकॉर्ड का अवलोकन से स्पष्ट है कि पट्टा विलेख जारी करते समय न तो सार्वजनिक आपत्तियां आमंत्रित की गई और ना ही कोई नोटिस चस्पा किया गया। सक्षम अधिकारी से पट्टे की रिपोर्ट भी नहीं ली गई। राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र दिनांक 07.09.2017 के बिन्दु संख्या 5 में वर्णित है कि '' जिला कलेक्टर सम्बन्धित ग्राम पंचायत को यह भी निर्देश देंगे कि ग्राम पंचायत द्वारा ऐसे किसी परिवार के पक्ष में पट्टा जारी नहीं किया जावे यदि उस ग्राम पचायत में उस परिवार के पास पूर्व में ही आवासीय मकान है '' अर्थात् किसी भी ग्राम पंचायत की आबादी भूमि में एक परिवार को एक ही पट्टा विलेख जारी किया जा सकता है अर्थात् परिवार के अन्य सदस्यों को पट्टा विलेख जारी नहीं किया जा सकता है लेकिन हस्तगत प्रकरण में ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 व उसकी पत्नी को भी पट्टा जारी किया गया जो विधिविरूद्ध होने से निरस्त योग्य है।

प्रार्थीपक्ष ने बहस में आगे बतलाया कि ग्राम पंचायत ने पट्टा जारी करने से पूर्व ना तो वास्तविक मौका देखा ना ही सर्वे किया बल्कि वास्तविकता यह है कि अचलाराम जाति से ब्राह्मण है जो सामान्य जाति की श्रेणी में आता है लेकिन उन्होनें ग्राम पंचायत से पट्टा विलेख प्राप्त करने हेतु जो आवेदन प्रस्तुत किया है उसमें अपनी जाति वर्ग ओ0बी0सी0 बताया है तथा ओ0 बी0 सी0 श्रेणी के आधार पर पट्टा जारी करवाया। पट्टा जारी करते समय ग्राम पंचायत ने न तो मौका निरीक्षण किया तथा न ही स्वतन्त्र गवाहों के रूप में हस्ताक्षर कराए तथा जो नक्शा ग्राम पंचायत ने बनाया उस पर किसी सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर/सील नही है अतः ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टा विलेख विधिविरूद्ध होने से निरस्त योग्य है।

प्रार्थीपक्ष ने निरन्तर बहस में बतलाया कि पत्रावली ग्राम पंचायत में मिसल किस तारीख को पेश की गई उसकी कोई तारीख मिसल पर अंकित नहीं है। पटवारी रिपोर्ट पर पटवारी के हस्ताक्षर नहीं है। कार्यालय टिप्पणी पर भी ग्राम विकास अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है। ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा विलेख जारी करते समय जो मिसल संधारित की गई दस्तावेजात की सूची में किसी पर भी दिनांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.08.04 14:03:42 IST
Reason: SelfAttested

अंकित नहीं है। बैठक कार्यवाही रजिस्टर दिनांक 05.10.2018 की प्रमाणित प्रतियाँ प्राप्त की जिसमें प्रस्ताव संख्या 4 में ग्राम पंचायतों द्वारा कौन से प्रस्ताव लिए गए उनका उल्लेख नहीं है पूरा पृष्ठ खाली है तथा आगामी पृष्ठ भी पूर्णतया खाली है तत्पश्चात् तीसरे पृष्ठ पर सरपंच दौलतराम गोदारा तथा बाबूलाल, भंवरलाल, फम्बुदेवी, पप्पाराम, प्रेमाराम, सूजकी, सतकी के अंगुष्ठ व हस्ताक्षर है। अगली बैठक कब व किस तारीख को होगी कोई सूचना नहीं है। बैठक रजिस्टर की तारीखों में काट–छाट तथा ओवर राईटिंग/व्हाईटनर का प्रयोग करते हुए वास्तविक तारीखों को छुपाया गया है। अप्रार्थी को जारी पट्टा विलेख की मूल मिसल का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि आवेदन प्राप्त होने पर पट्टा बनाने हेतु मिसल दर्ज रजिस्टर की जाकर दिनांक 05.12.2018 को पेश हो लेकिन दिनांक 05.12.2018 का बैठक रजिस्टर मे कही कोई जिक्र नहीं, जबकि बैठक रजिस्टर की तारीखों में फेरबदल किया हुआ है तथा पेंसिल से ओवर राईटिंग की हुई है तथा 05.01.2019 को कमेटी बनाई गई व जांच करेगी तथा बिन्दु संख्या 2 में मकानों की भूमियों पर निर्विवाद रूप से प्रार्थियां का एकल स्वामित्व है या नहीं उक्त रिपोर्ट 20.01.2019 तक प्रस्तुत करेंगे। आगामी बैठक कार्यवाही रजिस्टर में दिनांक में काट–छाट कर दिनांक 20.01.2019 कर तारीख पर व्हाईटनर लगाकर तारीख मे कॉट–छॉट की गई व ओवर राईटिंग की गई है। बैठक कार्यवाही रजिस्टर में दिनांक 20.01.2019 की कार्यवाही के पद संख्या 2 में वर्णित मौका निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है अर्थात् मौका रिपोर्ट पर तारीख 20.02.2019 अंकित है जबकि बैठक कार्यवाही रजिस्टर मे 20.01.2019 को या उससे पूर्व प्राप्त होने का सवाल ही नहीं है। दिनाक 05.02.2019 को बैठक रजिस्टर के आगामी तारीख में भी कॉट–छॉट व ओवर राईटिंग तथा कई बार काटी गया है व तारीखों में फेरबदल किया है। इससे जाहिर होता है कि सारी कार्यवाही आनन–फानन में घर बैठकर की गई है तथा उसमें प्रस्ताव संख्या 1 से 5 तक बनाई गई सभी सदस्यों के हस्ताक्षर अन्तिम पृष्ठ पर हुए है। बैठक दिनांक 20.02.2019 के प्रस्ताव संख्या 4 में मिसल का जिक्र है जिसमे मौका निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है तथा मौका रिपोर्ट 20.02.2019 को बनी है तो एक माह का नोटिस कब जारी हुआ और चस्पा हुआ, जबकि नोटिस जारी किए बिना तथा एतराज का समय दिए बिना ही मौका निरीक्षण रिपोर्ट बना ली गई। बहस के अन्त में निगरानीधीन पट्टा को निरस्त करने की इस्तदुआ की।

Signature Not Verified

Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.08.04 14:03:42 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थी संख्या 01 के अधिवक्ता श्री रामप्रकाश चौधरी ने पंचायत निगरानी का जवाब पेश नहीं कर बहस में बतलाया कि अप्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत में विधिवत् आवेदन पेश किया गया। आवेदन पेश करने पर मिसल दर्ज की गई। कमेटी गठित कर मौका रिपोर्ट मंगवाई गई। आपत्तियाँ आमंत्रित करने हेतु नोटिस जारी किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा दो मौत बिरान के बयान लिए जाकर विधिवत् पट्टा जारी किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 का निगरानीधीन पट्टे में वर्णित भूमि पर रहवासीय मकान बना हुआ है जिस पर उसका निर्विवाद कब्जा है। अप्रार्थी संख्या 01 ने उक्त रहवासीय मकान पर राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा सतलाना द्वारा रहवासीय मकान पर ऋण स्वीकार करने का पत्र दिनांक 05.10.2019 तथा ग्राम पंचायत फींच तहसील लूणी द्वारा अप्रार्थी को रहवासीय पट्टासुद मकान पर ऋण देने का अनापत्ति प्रमाण–पत्र दिनांक 18.07.2019 की सत्यप्रतियाँ पेश की। प्रार्थीपक्ष द्वारा बहस में बतलाया गया कि बैठक कार्यवाही रजिस्टर में जगह–जगह काटछाँट व व्हाईटनर का प्रयोग किया गया है तो इसमें अप्रार्थी संख्या 01 का कोई लेना–देना नहीं है क्योंकि ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड का संधारण सरपंच व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा किया जाता है। बहस के अन्त में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस कर मनन किया। पत्रावली तथा अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल रिकॉर्ड का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल रिकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा ग्राम पंचायत में आवेदन पेश किया गया। आवेदन प्रस्तुत करने पर मिसल कायम की गई। आपत्तियाँ आमंत्रित करने हेतु नोटिस जारी किया गया। कमेटी गठित कर मौका निरीक्षण रिपोर्ट मंगवाई गई। दो स्वतन्त्र मौतबिरान के बयान लेकर अप्रार्थी को पट्टा जारी किया गया। प्रार्थी का निगरानी में मुख्य कथन रहा कि बैठक कार्यवाही रजिस्टर में जगह–जगह कांटछांट व व्हाईटनर से तारीखों में फेरबदल किया गया है तो उसकी जिम्मेदारी संबंधित ग्राम पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी व सरपंच की है न की पट्टा धारक की। अप्रार्थी संख्या 01 ने उक्त रहवासीय मकान पर राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा सतलाना से रहवासीय मकान पर ऋण स्वीकार करने का पत्र दिनांक 05.10.2019 तथा ग्राम पंचायत फींच तहसील लूणी द्वारा अप्रार्थी को रहवासीय पट्टासुद मकान पर ऋण देने का अनापत्ति प्रमाण–पत्र दिनांक 18.07.2019 की सत्यप्रतियाँ तथा उक्त मकान के पुराने

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.08.04 14:03:42 IST
Reason: SelfAttested

फोटोग्राफ्स पेश किये इससे स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 01 का उक्त रहवासीय मकान पर पुराना कब्जा है। अतः तकनीकी आधार पर निगरानीधीन पट्टे को निरस्त करना न्यायोचित नहीं है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी की पंचायत निगरानी निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति के साथ मूल रिकॉर्ड ग्राम पंचायत को भिजवाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर, (प्रथम)
जोधपुर

आदेश आज दिनांक 30.06.2023 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर, (प्रथम)
जोधपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.08.04 14:03:42 IST
Reason: SelfAttested